ορजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236597
CG-DL-E-15062022-236597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
No. 301] NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून , 2022

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-21/टी(अल्कोहल-5).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार, खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहॉलिक पेय) संशोधन विनियम, 2020 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एस.पी.-21/टी(अल्कोहल-3), तारीख 22 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 25 नवम्बर, 2021 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहॉलिक पेय) संशोधन विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहॉलिक पेय) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहॉलिक पेय) विनियम, 2018 के,-

(क) विनियम 1.2 में, उप-विनियम 1.2.8 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात: -

"1.2.8क अल्कोहॉलिक पेय के गैर-अल्कोहॉलिक प्रतिरूप से अभिप्रेत है गैर-अल्कोहॉलिक पेय जिसमें अल्कोहल की मात्रा 0.5% एबीवी से कम या उसके बराबर हो, यह इथाइल अल्कोहल सामग्री को छोड़कर मूल के संबंधित अल्कोहॉलिक पेय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, मूल के अल्कोहॉलिक पेय को किण्वन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और तत्तपश्चात् उत्पादित अल्कोहल को हटा दिया जाएगा।"

(ख) उप-विनियम 4.2(1) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4.2(2) सुवासित बीयर: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार सुवास युक्त बीयर और ऐसी बीयर, बीयर की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगी जो इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट हो।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./118/2022-23]

टिप्पण : खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहॉलिक पेय) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2/एस.ए-24/2009(1)/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय) अधिसूचना (1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2019, तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-5).—Whereas the draft Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2021, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-3), dated the 22nd November, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 25th November, 2021;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, namely. -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -

(a) in regulation 1.2, after the sub-regulation 1.2.8, following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"1.2.8a. "non-alcoholic counterpart of alcoholic beverage" means non-alcoholic beverage having alcohol content less than or equal to 0.5% alcohol by volume, which shall meet all the requirements of respective alcoholic beverage of origin except the ethyl alcohol content. Additionally, the alcoholic beverage of the origin must undergo the process of fermentation and the produced alcohol is removed thereafter.'';

(b) after sub-regulation 4.2(1), following shall be inserted, namely. -

"4.2(2) Flavoured Beer: Beer containing flavours as per the provisions of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and such beer shall meet all the other requirements of the beer, as specified under these regulations."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./118/2022-23]

Note: The Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, section 4, *vide* notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and subsequently amended *vide* notification number F. No. Stds/SP(water and Beverages)/ Notification (1)/FSSAI-2019 dated the 18th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.15 16:03:00 +05'30'